

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,  
अनु सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5 देहरादून: दिनांक। 3 अक्टूबर, 2021  
विषय:- राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाले चिकित्सकों हेतु सर्विस बॉण्ड के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2749/चि0शि0/03(मेडिकल) /159/2021 दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर गढ़वाल में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाले चिकित्सकों हेतु सर्विस बॉण्ड के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-1145 दिनांक 23 मई, 2013 के अनुसार एम0डी0/एम0एस0 के राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड हस्ताक्षरित करने वाले छात्र रू0 60,0000/- मात्र वार्षिक शिक्षण शुल्क (रू0 साठ हजार मात्र वार्षिक) तथा बॉण्ड हस्ताक्षरित न करने वाले छात्र रू0 5,00,000/- मात्र वार्षिक शिक्षण शुल्क (रू0 पांच लाख मात्र वार्षिक) देंगे तथा शासनादेश संख्या-374 दिनांक 31 मार्च, 2017 के अनुसार राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम में रियायती दरों पर अध्ययनरत छात्रों हेतु प्रख्यापित बॉण्ड के नवीन प्रारूप के अनुसार "After successful completion of the course of study the bouden shall serve any of Government Hospital/Health Centre situated in hilly region of the State for a period of two year anywhere in Uttarakhand" अथवा एकमुश्त रू0 2,50,00,000/- (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि जमा किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कोर्स के संबंध में भी उपरोक्त प्रस्तर-2 में निर्धारित शुल्क एवं शर्तों के अनुसार ही अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Signed by Sunil Kumar  
Singh

Date: 13-10-2021 17:31:22

Reason: Approved

भवदीय,

सुनील कुमार सिंह  
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।